नवोदय विद्यालय समिति, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
जवाहर नवोदय विद्यालय पटेहरा कलॉ जिला मीरजापुर (उ0प्र0)

निविदा एवं संविदा की सामान्य शर्ते

निविदा प्रपत्र का मूल्य रू–200/–
सन्दर्भ :.. दिनांक:..

सेवा में,

....
....
....

विषय: जवाहर नवोदय विद्यालय मीरजापुर हेतु ....सामग्री की आपूर्ति हेतु निविदा।

धरोहर धनराशि रू0..................................शब्दों में..

महोदय,

1. जवाहर नवोदय विद्यालय जनपद मीरजापुर में आपूर्ति हेतु निविदाए **प्रकाशन तिथि से दिनांक:25.11.2017 तक प्रातः 9.00 बजे से अपराह्न 02.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में** प्राचार्य, ज0न0वि0, पटेहरा कलां, मीरजापुर कार्यालय से रू0200नकद जमा कर प्राप्त की जा सकती है। निर्धारित निविदा पत्र पर विधिवत् भरी हुई निविदा धरोहर राशि के केवल बैंक ड्राफ्ट के साथ मुहरबन्द लिफाफे में प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय मीरजापुर के नाम से पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा **दिनांक:02.12.2017 के अपरान्ह 4:00 बजे तक** कार्यालय में प्राप्त की जायेगी, लिफाफे के ऊपर बॉयी ओर सुस्पष्ट शब्दों में प्रस्तावित सामग्री आपूर्ति हेतु निविदा स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। निविदाएँ विद्यालय क्रय परामर्श दात्री उपसमिति की बैठक में **दिनांक:04.12.2017** की पूर्वाह्न 12:00 बजे खोलकर निर्णय लिया जायेगा।
2. कोई भी निविदा विद्यालय के वेबसाइट www.jnvmirzapur.org से भी डाउनलोड की जा सकती है। डाउनलोड की गयी निविदाओं को भरते समय निविदादाता को धरोहर/जमानत राशि के साथ–साथ प्रति निविदा रू0200/–(दो सौ मात्र) मूल्य का बैंक ड्राफ्ट भी लगाना होगा अन्यथा निविदा को निरस्त कर दिया जायेगा।
3. निविदायें निविदा फार्म की शर्तो जिनका उल्लेख इस फार्म में किया जा रहा है के अनुसार भरी जानी चाहिए तथा निविदादाता को निविदा में निहित शर्तो की सहमति पर अपने हस्ताक्षर अंकित करने होंगे।
4. निविदा में दर्शायी गई दरें सभी कर सहित जैसे– जी0एस0टी0, उत्पादन शुल्क तथा अन्य कर सहित होनी चाहिए। किसी भी तरह का अतिरिक्त कर देय नहीं होगा तथा एफ.ओ.आर जवाहर नवोदय विद्यालय पटेहरा कलां, मीरजापुर होना चाहिए। परन्तु किसी भी दशा में वस्तु पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक नही होना चाहिए।
5. निविदा फार्म में अंकित वस्तु व उनके मूल्यों में कोई भी कटिंग स्वीकार नहीं है। यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन करना आवश्यक हो तो साफ तरीके से किया जाना चाहिए तथा परिवर्तन पर हस्ताक्षर व दिनांक का उल्लेख अवश्य हो।
6. अधोहस्ताक्षरी किसी भी निविदा को स्वीकृत करने के अधिकार को अपने पास सुरक्षित रखता है एवं वह न्यूनतम दर वाले निविदा को ही स्वीकृत करने के लिए बाध्य नही है। वह किसी भी निविदा को बिना उसका कारण बताये निरस्त कर सकता है। निविदा की स्वीकृत न्यूनतम दरें गुणवत्ता को ध्यान में रख कर की जायेगी।
7. निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी और निविदाकर्ता के बीच यह निविदा प्रपत्र स्वतः एक अनुबन्ध के रूप में परिवर्तित हो जाएगा तथा निविदादाता इस प्रपत्र में उल्लिखित सभी शर्तो के अनुरूप कार्य के लिए बाध्य होगा।
7. निविदा के साथ संलग्न प्रपत्र में वर्णित सम्बन्धित निविदानुसार धरोहर राशि (Earnest Money) केवल बैंक ड्राफ्ट के रूप में संलग्न करनी होगी। बैंक डिमान्ड ड्राफ्ट **जवाहर नवोदय विद्यालय, पटेहरा कलां, मीरजापुर(S.B.I. बरकछा शाखा)** के पक्ष में होना चाहिए। जिन निविदा

कर्ता की निविदा स्वीकार नही होगी उन्हें धरोहर राशि निविदा स्वीकृत होने की तारीख के एक माह के भीतर लौटा दी जाएगी। किसी भी दशा में धरोहर राशि के बिना निविदा पर विचार नही किया जायेगा।

8. जिन निविदादाताओं की निविदायें स्वीकार हो जायेगी उनके द्वारा प्रस्तुत धरोहर राशि (Security Deposit) स्वतः प्रस्तावित आपूर्ति हेतु धरोहर राशि में समायोजित कर दी जायेगी तथा सामान्य परिस्थितियों में मूल रकम निविदा पूर्ण होने पर वापस कर दी जाएगी।
9. निविदा दाता को आपूर्ति आदेश में निर्दिष्ट अवधि के अन्दर प्रस्तावित सामग्री की आपूर्ति करनी होगी। असफल होने पर अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि वह प्रस्तावित सामग्री की आपूर्ति अन्य श्रोत से पूर्ण कर लें तथा मूल्यों में अन्तर होने के कारण हुई कुल हानि की वसूली निविदादाता द्वारा प्रस्तुत लम्बित बिलों से अथवा उसके द्वारा जमा धरोहर राशि से समायोजित कर ली जाएगी।
10. निविदा फार्म में जिन वस्तुओ के लिए नमूना मांगा गया है उनका नमूना निविदा के साथ अथवा निविदा खोलने के समय जैसा निर्देशित किया गया है प्रस्तुत करेंगें। अधोहस्ताक्षरी को निविदा स्वीकृत के बाद भी वस्तुओं का नमूना मॉगने का अधिकार होगा तथा निविदा दाता का दायित्व होगा कि वह नमूना प्रस्तुत करें तथा किसी सामान के मशीन होने की स्थिति में उसको चलाकर दिखाया जाना अनिवार्य होगा। नमूने पर फर्म की मोहर व हस्ताक्षर होना अनिवार्य है जिसे मार्कर पेन से किया जाय जिन वस्तुओं पर ऐसा सम्भव नही है उसे पारदर्शी पालीथीन में सील बन्द कर सह:हस्ताक्षर दिया जाय। नमूना उक्त उपर्युक्त शर्तों के साथ टेन्डर फार्म के साथ पृथक लिफाफे में पंजीकृत डाक से भेजना अनिवार्य है। विशेष परिस्थिति में नमूना टेन्डर खोलने के समय भी उक्त शर्तों के साथ दिया जा सकता है।
11. वस्तु की आपूर्ति की जॉच अधोहस्ताक्षरी द्वारा या अधिकृत प्रतिनिधि/कमेटी द्वारा की जायेगी। यदि आपूर्ति हुई वस्तु स्वीकृत नमूने के अनुसार नही है अथवा निर्धारित निर्दिष्टकरण के अनुसार नहीं है तो आपूर्ति हुई सामग्री को निविदादाता द्वारा स्वयं के खर्चे पर बदला जायेगा अन्यथा आपूर्ति को निरस्त कर दिया जाएगा। यह अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है।
12. निविदा पत्र उन्ही फर्मो/कम्पनियों के स्वीकार किए जाएगें जो उस वस्तु (सामान, मशीन) इत्यादि के व्यापार में संलग्न हो तथा उनका बिक्रीकर पंजीकरण उस वस्तु विशेष के व्यापार करने हेतु हो।
13. निविदादाता को अपने पक्ष में प्राप्त आपूर्ति आदेश की वस्तुएं अपने स्तर से ही आपूर्ति करनी होगी। वह उसका कोई अंश/भाग अन्य फर्म को आपूर्ति करने हेतु स्थानान्तरित नही कर सकता।
14. फर्म को भुगतान करने में राशि के प्रेषण का ड्राफ्ट व्यय यदि कोई होता है तो वह फर्म द्वारा वहन किया जाएगा।
15. विवादास्पद वस्तु के मामले में भुगतान की राशि रोकी जा सकती है तथा विवादास्पद वस्तुओं का निपटारा होने पर इनके परिणाम के अनुसार रकम का भुगतान किया जायेगा।
16. अगर निविदा फर्नीचर आपूर्ति के लिए है तो निविदादाता प्रत्येक फर्नीचर सामान पर धातु की प्लेट लगायेंगें जिस पर फर्म का नाम तथा आपूर्ति का वर्ष अंकित होगा।
17. निविदा की दरें दिनांक 31.03.2018 तक मान्य होगीं परन्तु खाद्य सामग्री एवं दैनिक उपयोग की सामग्री के लिए 30.04.2018 तक मान्य होगी।
18. निविदा दाता आपूर्ति आदेश में निर्दिष्ट वस्तुओं में यदि किसी वस्तु के साथ उपहार, स्कीम कम्पनी उपलब्ध करा रही है तो निविदा दाता उस उपहार को विद्यालय को उपलब्ध करायेगा तथा उसे बिल में भी दर्शायेंगे परन्तु उसकी कीमत शून्य होगी परन्तु उपहार में दी गयी वस्तु की कीमत की मॉग नही करेंगे।
19. सभी विवादों का न्याय क्षेत्र जनपद मीरजापुर होगा।
20. भारत सरकार/उ0प्र0 सरकार द्वारा निर्धारित व्यापार कर/आयकर की कटौती आपूर्ति कर्ता के बिल से की जायेगी और संबन्धित विभाग को भेज दी जायेगी।

21. आपूर्ति आदेश के अनुसार वस्तुओं की आपूर्ति न करने पर अथवा निविदा की शर्तों का उल्लंघन करने पर अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि वह धरोहर राशि को जब्त करते हुए निविदा अनुबन्ध को निरस्त कर फर्म को काली सूची में अंकित करने हेतु कार्यवाही करें।

22. किसी भी फर्म का कोई भी आईटम (वस्तु) की दर स्वीकृत होने के उपरान्त यदि दरें अधिक पायी जाती है तो छात्र हित को दृष्टिगत रखते हुए अधोहस्ताक्षरी उस फर्म से वह आईटम (सामान) क्रय करने हेतु बाध्य नही होगा। इसके लिए किसी प्रकार का फर्म का कोई भी दावा मान्य नही होगा।

23. किसी भी वस्तु की दर टेन्डर फार्म मे दिया गया उस वस्तु की माप/तौल के अनुरूप होना चाहिए तथा किसी भी परिस्थिति में एम.आर.पी. से अधिक नही होना चाहिए।

24. निविदा में दर्शायी गयी समस्त दरें एम.आर.पी. से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

25. निविदादाता निविदा के साथ निम्न प्रमाण पत्र संलग्न करेंगें।
    1. व्यापार कर/आयकर विभाग द्वारा जारी वर्तमान कर प्रमाण पत्र।
    2. निर्धारित धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट।
    3. निर्धारित निविदा प्रपत्र राशि का बैंक ड्राफ्ट।
    4. उपकरण, फर्नीचर आदि की आपूर्ति के लिए निर्दिष्टीकरण तथा छपा हुआ मूल पत्र तथा अन्य लिखित सामग्री।
    5. यदि निविदादाता अनुमोदित वितरक है तो सम्बन्धित कम्पनियों द्वारा अनुमोदन वितरक का प्रमाण पत्र।
    6. जहाँ लागू हो जी0एस0टी0/टिन, वैट/बिक्री कर रजिस्टर्ड प्रमाण पत्र की प्रति।
    7. कबाड़ क्रय करने वाले फर्म का पंजीयन प्रमाण–पत्र।

नोटः–निविदा खोलने के दिन निविदादाता या उसके प्रतिनिधि गुणवत्ता के आधार पर निगोशिएशन हेतु अवश्य उपस्थित होवें।

प्राचार्य
जवाहर नवोदय विद्यालय
पटेहरा कलॉ
जिला मीरजापुर

निविदा प्रपत्र में लिखित समस्त शर्तें हमें मान्य है।

दिनांक :..............
स्थान :..................

निविदा भरने वाले का नाम
हस्ताक्षर तथा फर्म की मुहर